INDIAN COUNCIL ACT OF, 1892(Part-1)

भारत परिषद अधिनियम, 1892

For: P.G.Sem-3,CC-13,Unit-4

1892 का भारत परिषद अधिनियम औपनिवेशिक भारत के संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम था ।1861 में विधान परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधि मिल चुका था, परंतु विधान परिषदों के ये प्रतिनिधि किसी भी तरह 'भारतीय' होने का दावा नहीं करते थे और उनकी यह बात भारतीयों को बहुत खलती थी। भारत में 1861 और 1892 के बीच का काल राष्ट्रीय चेतना के उदय एवं नवजागरण का स्वर्णिम काल था। **पट्टाभि सीतारमैय्या** के अनुसार इस समय भारत पर पाश्चात्य सभ्यता, उसके साहित्य, विधि व्यवस्था, प्रतिनिधि संस्थाओं आदि का अनिवार्य प्रभाव पड़ रहा था साथ ही साथ ब्रिटिश शासकों की दमन नीतियां और भारतीयों के साथ नस्ली विभेद का व्यवहार जनता में राष्ट्रीय एकता और स्वाधीनता की भावनाओं को बल दे रहे थे। इसका एहसास समय इस काल में विभिन्न प्रांतीय संगठनों के अभ्युदय एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से होता है आने वाले दिनों में कांग्रेस के प्लेटफार्म से भारतीय जनमानस की आवाजें उठने लगी। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम **जी.एन. सिंह** के अनुसार- कांग्रेस के प्रयत्नों का पहला परिणाम था।

Scanned with CamScanner

अधिनियम के पारित होने की परिस्थितियां

भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना पैदा होने के साथ ही भारतवासी प्रशासन के सभी क्षेत्रों में अधिकाधिक स्वशासन की तथा भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना के लिए आवश्यक संवैधानिक सुधारों की मांगों पर जैसे विधान परिषदों को और शक्ति दिए जाने तथा उनका विस्तार कर अधिक भारतीयों को शामिल करने की मांगें कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने 1861 के अधिनियम की त्रूटियों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था और उसमें सुधार तथा विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया था। दूसरी ओर स्वंय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक लॉर्ड रिपन तथा लॉर्ड डफरिन का भी ध्यान प्रशासन में भारतीय लोगों के प्रतिनिधित्व के अभाव की ओर आकर्षित हुआ था।

1861 में स्थापित विधान परिषद में जो अशासकीय तत्व थे, चाहे वह शून्य के बराबर ही थे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इनमें केवल बड़े बड़े जमींदार, अवकाश प्राप्त अधिकारी, तथा भारतीय राजे ही होते थे जो कि जनता की समस्याओं को समझने का दावा नहीं कर सकते थे।

Scanned with CamScanner

अपने जन्म के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही मांग की- केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए एवं उनमें निर्वाचित सदस्य लिए जाएं तथा उन्हें सभी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर वाद-विवाद करने का अधिकार दिए जाएं साथ ही उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर दिया जाए। एक शाही आयोग भारतीय प्रशासन की जांच करें। इसी प्रकार की मांगे कांग्रेस हमेशा करती रही थी।

तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन को कांग्रेस के इरादों पर शक होता था लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार को लोकप्रिय एवं संवेदनशील बतलाने के लिए के उद्देश्य से भारतीयों की मांगों को ' औचित्यपूर्ण और तर्कसंगत' कहा था तथा 1888 में प्रांतीय परिषदों में सुधार सुझानें हेतु अपनी परिषद की एक समिति नियुक्त की जिसनें प्रांतीय परिषदों के विस्तार की ,उनके कार्यों में वृद्धि करने की तथा उसमें आंशिक रूप से निर्वाचन सिद्धांत लागू करने की सिफारिश की ।

निर्वाचन के प्रश्न को लेकर ब्रिटिश संसद में काफी जबरदस्त बहस हुई। स्पष्टतः भारतीयों को अभी इतना काबिल नहीं समझा जा रहा था। सैलिसबरी 'चुनाव के सिद्धांत को मानना अपने शत्रुओं के हाथ में अस्त्र देने के समान मानते थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में लंबी बाद विवाद के बाद लॉड किंबरले ने स्पष्ट किया कि विधेयक के अंतर्गत यह संभव था कि कुछ व्यक्तियों को निर्वाचन द्वारा चुने जाने के बाद नामांकित या नियुक्त किया जाए ।बाद में 1892 के अधिनियम के लागू होने के

Scanned with CamScanner

पश्चात भारत सचिव ने ऐसा ही सुझाव दिया। इस प्रकार निर्वाचन का तत्व सिफारिश में ही निहीत था ।

1892 के अधिनियम पारित किए जाने की पृष्ठभूमि में **चार्ल्स ब्रेडला** जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस के वरिष्ठ सदस्य तथा भारतीय मामलों में विशेष रूचि रखते थे, के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे 1889 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में उपस्थित थे और मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के विचार विमर्श से तैयार भारतीय परिषद संशोधन विधेयक को 1890 में हाउस ऑफ कॉमंस में रखा जिसे **होमरूल बिल** तथा **होमरूल स्कीम** के नाम से भी जाना गया। यद्यपि 1891 में चार्ल्स ब्रेडला की मृत्यु हो गई लेकिन यही विधायक 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम जो 1890 में संसद में रखे जाने के बाद धीमी गति से चलता हुआ 20 जून 1892 को लागू हुआ- का आधार बना।

To be continued.....

BY:ARUN KUMAR RAI

Asst.Professor

P.G.Dept.of History

Maharaja College.,Ara.

Scanned with CamScanner